न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/291** दायर दिनांक **13.10.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनलाल पुत्र औंकारमल, जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. आनन्द गोपाल पुत्र रूपनारायण, 2. विजय गोपाल पुत्र रूपनारायण, 3. रूनझुन गग्गड़ पत्नि राजगोपाल, 4. संजय उर्फ संजय गोपाल पुत्र श्रीगोपाल, समस्त जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।
2. श्री सुनिल कुमार शर्मा प्रतिवादीगण की और से।

–:: अन्तिम निर्णय ::–

दिनांक **15.02.2018**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है, रूपनारायण व रतनलाल व रूपनारायण दोनो भाई है जो स्व0 औंकारमल गग्गड़ के पुत्र है। दोनो सगे भाई है, रूपनारायण के चार पुत्र श्रीगोपाल, राजगोपाल, आनन्द गोपाल व विजय गोपाल है जिनमें से श्रीगोपाल की मृत्यु हो चुकी है उसके पुत्र संजय व पत्नि सुमित्रा है, सुमित्रा की मृत्यु हो चुकी है। तथा राजपगोपाल की पत्नि रूनझुन है। खेत खसरा संख्या 5 रकबा 21.12 बीघा व खेत खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा वाके सरहद रसीदपुरा स्थित है, जिनकी वर्तमान में खातेदारी व कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादीगण का है, जमाबन्दी की नकले वाद के साथ पेश है, दोनो की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 5 व 6 वाके रसीदपुरा है जिसमें दोनो (रतनलाल व रूपनारायण) 1/2–1/2 हिंस्सा के कानूनन हकदार है। रूपनारायण की मृत्यु के बाद रूपनारायण के वारिसान व रतनलाल के बीच फेमिली सेटलमेंन्ट हुआ, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 6 रकबा 74.12 बीघा में से 1/2 हिंस्सा उतरी अर्थात 37.06 बीघा, व खेत खसरा संख्या 5 रकबा 21.12 बीघा मे से उतरी 1/2 हिंस्सा अर्थात 10.16 बीघा भूमि वादी रतनलाल के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा खेत खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा में से दक्षिणी 1/2 हिंस्सा अर्थात 37.06 बीघा, खसरा संख्या 05 रकबा 21.12 बीघा में से दक्षिणी 1/2 हिंस्सा अर्थात 10.16 बीघा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के बंट व कब्जा काश्त में आया, तथा इसी

पृष्ठ संख्या ......2..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार पक्षकारान अपने अपने बंट में आये हिस्सों पर कब्जा रूप से काबिज है, तथा वादी रतनलाल के हिस्से में कुआँ व मकान बने हुये है। उक्त खेतो में कानूनन 1/2 हिस्सा के हकदार वादी रतनलाल व 1/2 हिस्से के हकदार स्वर्गीय रूपनारायण के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 है, क्योंकि वादी रतनलाल व स्वर्गीय रूपनारायण दोनो सगे भाई है, जो स्वर्गीय औंकारमल के जायन्दा पुत्र है। इस फेमिली सेटलमेन्ट के अनुसार हुये बंटवारे को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो नजरी नक्शा वाद का भाग है तथा वाद के साथ पेश है। उक्त खेतो का कानूनन रूप से बंटवारा नहीं होने से वादी को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होती है। जिस कारण वादी उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा करवाकर अपने बंट व हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि का खाता अलग करवाना चाहता है, जिसका की वह कानूनन हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादी अपने बंट, खातेदारी व कब्जा काश्त के हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करें इस बाबत उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के जायज अधिकारी है, अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद ने जरिये अधिवक्ता जरिये आम मुख्तयार के ईकबाली जवाब पेश किया, जिसमें निवेदन किया वादी का वाद डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 05 बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है, नजरी नक्शा प्रदर्श – 03 है, आम मुख्तयारनामा प्रदर्श–04, 05, 06 है।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद रसीदपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 5 रकबा 21.12 बीघा व खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा वाके रसीदपुरा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है

पृष्ठ संख्या .....3..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कि वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा में से उतरी 37.06 बीघा व खसरा संख्या 05 रकबा 21.12 बीघा में से 10.16 बीघा उतरी हिंस्से का वादी रतनलाल को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है, तथा खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा में से शेष 37.06 बीघा भूमि दक्षिणी पूर्वी व खसरा संख्या 05 रकबा 21.12 बीघा में से दक्षिणी 10.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 को स्वतन्त्रं खातेदार घोषित किये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **15.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/291 दायर दिनांक 13.10.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनलाल पुत्र औंकारमल, जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. आनन्द गोपाल पुत्र रूपनारायण, 2. विजय गोपाल पुत्र रूपनारायण, 3. रूनझुन गग्गड़ पत्नि राजगोपाल, 4. संजय उर्फ संजय गोपाल पुत्र श्रीगोपाल, समस्त जाति महाजन, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

–:: अंतिम डिक्री निर्णय ::– दिनांक :– 15.02..2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादी की और से तथा सुनिल कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा शरहद रसीदपुरा पटवार क्षैत्र आकोदा भू– निरीक्षक क्षैत्र मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्ब दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद रसीदपुरा रसीदपुरा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा में से उतरी 37.06 बीघा व खसरा संख्या 05 रकबा 21.12 बीघा में से 10.16 बीघा उतरी हिंस्से का वादी रतनलाल को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है, तथा खसरा संख्या 06 रकबा 74.12 बीघा में से शेष 37.06 बीघा भूमि दक्षिणी पूर्वी व खसरा संख्या 05 रकबा 21.12 बीघा में से दक्षिणी 10.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 को स्वतन्त्रं खातेदार घोषित किये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–.............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.02.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
थ्मजान			थ्मजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner